भारत में पेटेन्ट अधिनियम का अतीत एवं वर्तमान

डॉ. (श्रीमती) शक्तिजैन
प्राध्यापक - अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

बौद्धिक संपदा अधिकार के कई प्रकार है जिसमें पेटेन्ट अधिकार महत्वपूर्ण स्थान रखता है जब कोई आविष्कार होता है तब अविष्कारकर्ता को उसके लिए दिया जाने वाला अनन्य अधिकार पेटेन्ट कहलाता है। पेटेन्ट अधिनियम की शुरूआत सन् 1474 में इंग्लैण्ड के राजा हैनरी VI ने कांच की खोज कांच लगाने में जॉन ऑफ आस्टिन नामक आविष्कारक को अधिकृत किया था । इसके बदले कांच निर्माता ने राजा से रंगीन कांच के निर्माण के लिए विशेष अधिकार की मांग की, तब उन्हें 20 वर्ष का एकाधिकार दे दिया गया। विश्व के कई देशों में अलग पेटेन्ट अधिकार दिये जा रहे थे। पेटेन्ट कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य सो 1883 में पेरिस में हुए एक सम्मेलन में 15 देशों ने भाग लिया जिसमें पेटेन्ट कानून को विधिवत किया गया। भारत देश में भी पहला पेटेन्ट संबंधित कानून 1856 में पारित अधिनियम था। वर्तमान में भारत में पेटेन्ट अधिनियम 2005 कई संशोधनों के साथ लागू है एवं उसमें भी कई संशोधन 2020 व 2021 में किये गये।

मुख्य शब्द - पेटेन्ट , बौद्धिक सम्पदा अधिकार, आविष्कार।

मनुष्य अपने ज्ञान व बुद्धि में कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है, उन विशेष अधिकारों पर उसका पूरा अधिकार भी है लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय रहा है यहीं से बौद्धिक सम्पदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस प्रारंभ होती है। जब विश्व में इस विषय पर चर्चा तेज हुई कि कैसे बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की रक्षा की जाये तब संयुक्त राष्ट्र के एक अंभिकरण विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में की गयी। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं लेकिन वह बाध्य नहीं होते हैं। भारत देश वर्ष 1975 से इस संगठन का सदस्य है। बौद्धिक संपदा अधिकार का तात्पर्य व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किये जाने वाले अधिकार से है एवं इसका मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के कई प्रकार हैं - जैसे कॉपीराइट, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेतक आदि। इस शोध आलेख में पेटेन्ट अधिकार का वर्णन किया है। पेटेन्ट अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रकार में मुख्य है एवं हमेशा पेटेन्ट अधिनियम का उल्लेख होता रहा है।

पेटेन्ट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी बिल्कुल नई सेवा, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि कोई इसकी नकल नहीं तैयार कर सके। अर्थात पेटेन्ट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जिसके मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति या संस्था किसी उत्पाद को खोजती या बनाती है तो उस उत्पाद को बनाने का एकाधिकार प्राप्त कर लेती है यदि पेटेन्ट धारक के अलावा कोई व्यक्ति या संस्था इसका उपयोग बिना पेटेन्ट धारक की अनुमति के करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध माना जाता है। लेकिन कोई इस उत्पाद को बनाना चाहता है तो उसे पेटेन्ट धारक व्यक्ति या संस्था से अनुमति लेनी पड़ती है।

पेटेन्ट के प्रकार - उत्पाद पेटेन्ट व प्रक्रिया पेटेन्ट

प्रत्येक देश में पेटेन्ट कार्यालय होता है वहां पेटेन्ट लेने के लिए अर्जी देकर साथ ही अपनी नई खोज का ब्यौरा देना तत्पश्चात् पेटेन्ट कार्यालय उसकी जांच करेगा और यह उत्पाद या तरकीब या विचार नया है तो उसको पेटेन्ट का अनन्य अधिकार प्राप्त हो जाता है। यहां पर यात भी महत्वपूर्ण है कि किसी उत्पाद या सेवा के लिए किया गया पेटेन्ट सिर्फ उसी देश में लागू होगा जहां पर उसका पेटेन्ट कराया गया है। भारत में पेटेन्ट किये उत्पाद या सेवा की नकल यदि किसी और देश में कोई व्यक्ति बनाता है तो उसे पेटेन्ट का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। अर्थात भारत में पेटेन्ट कराने वाली कंपनी यदि उत्पाद या सेवा का पेटेन्ट अमेरिका या किसी अन्य देश में एकाधिकार चाहती है तो उसे उस देश के पेटेन्ट कार्यालय में जाकर पेटेन्ट कराना होगा क्योंकि पेटेन्ट कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून है।

पेटेन्ट का इतिहास - पेटेन्ट कानून दुनिया के महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है । जिस समय पूंजीवाद विकास की शुरूआत थी उस समय उद्योग न होकर छोटे-छोटे शिल्प संघ हुआ करते थे जिन्हें गिल्ड कहा जाता था। शिल्प संघों के कुशल कारीगर ही उनके संयुक्त रूप से मालिक होते थे इन गिल्डों में कई व्यक्ति आकर प्रशिक्षण प्राप्त करते थे तथा फिर अपने गिल्ड स्थापित कर लेते थे जिससे पुराने गिल्डो को परेशानी उठानी पड़ती थी अतः पुराने गिल्डो ने यह व्यवस्था शुरू की कि नये कारीगर प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाद भी एक निश्चित अवधि के लिए वहीं काम करेगें जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है इस नई व्यवस्था को सरकार की स्वीकृति मिल गई और यही पेटेन्ट अधिकार की शुरूआत मानी गयी।

सन 1474 में इंग्लैण्ड के राजा ने वैल्जियम में रंगीन कांच की खोज व कांच लगाने में जॉन ऑफ आरिनम नामक आविष्कारक को अधिकृत किया था इसके वदले में कांच निर्माता ने राजा से रंगीन कांच के निर्माण के लिए विशेष अधिकार की मांग की उनका दावा था कि उनने इस प्रक्रिया का आविष्कार किया है । उन्हें 20 वर्ष का एकाधिकार दे दिया गया विश्व का यह पहला लिखित पेटेन्ट माना जाता है। सही अर्थ में पेटेन्ट कानून की शुरूआत यहीं से हुई। इसके बाद यह व्यवस्था की गई कि जब भी कोई आविष्कार नई खोज करता था तो, उसे वह वस्तु बनाने के लिए कुछ वर्षो तक एकाधिकार प्रदान किया जाता था और आविष्कार को यह छूट होती थी कि वह अपने एकाधिकार को किसी व्यक्ति या कंपनी को बेच सके।

1623-24 में इंग्लैण्ड में पेटेन्ट कानून बना जिसमें अनुसंधानकर्ता को 14 साल का पेटेन्ट दिया गया इस कानून ने दुनिया में पेटेन्ट कानून की आधारशिला रखी। वाद में ब्रिटेन एवं उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेशों पर भी कानून लागू कर दिया। स्वतंत्र अमेरिका इससे प्रभावित हुआ और अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 अनुभाग 8 के अंतर्गत अमेरिकी कानून विज्ञान और कलाओं की प्रगति के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया तथा 1790 में इस परिप्रेक्ष्य में पहला पेटेन्ट कानून बनाया गया तथा फ्रांस में 1791 में बने पेटेन्ट कानून के तहत एकाधिकार को उसका प्राकृतिक अधिकार माना गया। पेटेन्ट कानूनों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 1883 में पेरिस में हुए एक सम्मेलन में 15 देशों ने भाग लिया जिसमें पेटेन्ट कानून को विधिवत किया गया। भारत देश में भी पहला पेटेन्ट संबंधित कानून 1856 में पारित अधिनियम था तथा भारत के प्रत्येक पेटेन्ट की अवधि पेटेन्ट आवेदन दाखिल करने की तारीख से 20 वर्ष है।

भारत देश में पेटेन्ट कानून का इतिहास -

1. भारत देश में पेटेन्ट से संबंधित प्रथम अधिनियम 1856 VI था। इसे 25 फरवरी 1856 को गवर्नर

ISSN 2395-051X

जनरल की अनुमति प्राप्त हो गयी थी पर इस अधिनियम को 25 जनवरी 1857 के अधिनियम IX द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसे ब्रिटिश राज्य की स्वीकृति के बिना लागू किया गया था।

2. 1859 में अधिनियम XV के रूप में नये आविष्कार के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए पारित किया गया। इस अधिनियम में पूर्ववर्ती अधिनियम के कुछ संशोधन शामिल थे जैसे - केवल उपयोगी आविष्कारों को ही अनन्य विशेषाधिकार अनुदान तथा प्रायिकता अवधि का 6 से 12 माह तक विस्तार। इस अधिनियम में आयातकों को आविष्कारिक की परिभाषा से अलग कर दिया गया। 1856 का अधिनियम 1852 के यूनाइटेड किंगडम अधिनियम पर आधारित था।

3. 1872 में 1859 के अधिनियम को पंजीकृत किया गया ताकि अभिकल्प से संबंधित संरक्षा प्रदान की जा सके। इसे 1872 के अधिनियम XIII के तहत पैटर्न एण्ड डिजाइन्स प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में पुनर्नामित किया गया।

4. पुन: 1872 के अधिनियम को 1883 में XVI द्वारा संशोधित किया गया जिसमें आविष्कार की नवीनता की संरक्षा का प्रावधान शामिल किया गया।

5. यह अधिनियम (1856) लगभग 30 वर्षों तक बिना किसी परिवर्तन के प्रभावी रहा किंतु वर्ष 1883 में यूनाइटेड किंगडम के पेटेन्ट कानून में कुछ संशोधन किये गये एवं यह माना गया कि उन संशोधनों को भारतीय कानून में भी शामिल किया जाना चाहिए तथा 1888 में कानून को एकीकृत तथा संशोधित करने के लिए नया विधान प्रस्तुत किया गया।

6. पेटेन्ट और डिजाइन के पूर्व में सभी विधानों को बदलते हुए भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन अधिनियम एक्ट 1911 आया। इस अधिनियम ने पहली बार पेटेन्ट प्रशासन को नियंत्रक, पेटेन्ट के प्रबंधन के अधीन ला दिया।

7. 1920 में इस अधिनियम में संशोधन कर सुरक्षा प्रायिकता के लिए यूनाइटेड किंगडम तथा अन्य देशों के साथ परस्पर समझौतों में शामिल होने का प्रावधान किया गया।

8. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह महसूस किया गया कि भारतीय पेटेन्ट एवं डिजाइन अधिनियम 1911 अपने उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर पा रहा है। देश की राजनैतिक एवं आर्थिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन के तहत विस्तृत पेटेन्ट कानून लागू करने की आवश्यकता समझी गयी तब सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पेटेन्ट प्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत में पेटेन्ट कानून की समीक्षा करने हेतु लाहौर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉ. बख्शी टेकचंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति की सिफारिशों के आधार पर 1911 के अधिनियम को 1950 (1950 का XXXII अधिनियम) में संशोधित किया गया।

9. 1952 (1952 के अधिनियम LXX) द्वारा खाद्य एवं औषधियों कीटनाशक, जर्मीसाइड या फंगीसाइड तथा वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया अथवा शल्य चिकित्सीय उपकरणों से संबंधित किसी आविष्कार के संदर्भ में, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक संशोधन किया गया।

10. 1967 में भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पेटेन्ट बिलसे कई संशोधनों के साथ पेश किया जो पेटेन्ट एक्ट 1970 के रूप में पास हुआ।

यह अधिनियम दिसम्बर 1994 तक 24 वर्षों के लिए बिना किसी परिवर्तन में प्रभावी रहा।

11. अधिनियम में कुछ परिवर्तन लाने वाला एक अध्यादेश 31 दिसम्बर 1994 को जारी किया गया। इस
12. अध्यादेश के स्थान पर पेटेन्ट संशोधन अधिनियम 1999 लाया गया जो भूतलक्षी प्रभाव से 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ।

13. पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 2002 (2002 का 38वां अधिनियम) द्वारा 1970 के अधिनियम में दूसरा संशोधन किया गया। यह अधिनियम पूर्व विद्यमान पेटेन्ट नियम 1972 के स्थान पर नए पेटेन्ट नियम 2003 की प्रस्तुति के साथ 20 मई 2003 से लागू हुआ।

14. पेटेन्ट (संशोधन) अध्यादेश 2004 द्वारा दिनांक 1 जनवरी 2005 के प्रभाव से पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में तीसरा संशोधन प्रस्तुत किया गया। बाद में दिनांक 4 अप्रैल 2005 को पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 15) द्वारा यह अध्यादेश प्रतिस्थापित हुआ तथा 1 जनवरी 2005 से लागू हुआ। यह संशोधन एक महत्वपूर्ण संशोधन था जिसमें उत्पाद पेटेन्ट को खाद्य, दवाओं, रसायनों तथा सूक्ष्मजीवें सहित प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था।

15. पेटेन्ट (संशोधित) अधिनियम 2005 भारत देश में संपूर्ण प्रभाव से लागू है। इसके पश्चात् भी पेटेन्ट (संशोधन) नियम 2006 द्वारा संशोधित किये गये अंतिम संशोधन 5 मई 2006 से प्रभावी रहा।

16. पेटेन्ट संशोधन नियम 2020 - फार्म 27 जमा करने और प्राथमिक दस्तावेजों के सत्यापित अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत से संबंधित आवश्यकताओं को सरल बनाया गया। फार्म 27 और नियम 131 (2) के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव इस प्रकार है।

(1) पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति को एक या एक से अधिक संबंधित पेटेन्ट के संदर्भ में एकल फार्म 27 दाखिल करने की रियायत होगी।

(2) जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को पेटेन्ट दिया गया है, ऐसे व्यक्ति संयुक्त फार्म 27 दाखिल कर सकते हैं।

(3) पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति को अनुमानित राजस्व अर्जित मूल्य के बारे में जानकारी देनी होगी।

(4) अधिकृत एजेंट, पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति की ओर से फार्म 27 जमा कर सकेंगे।

(5) फार्म 27 दाखिल करने के लिए पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मौजूदा तीन माह की बजाय छह माह का का समय मिलेगा।

(6) पेटेन्ट प्राप्त व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से या अंश के संबंध में फार्म 27 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. अभी केन्द्र सरकार ने पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 2021 प्रस्तुत किया है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेन्ट दाखिल करने और अभियोजन हेतु शुल्क 80% की कमी की है। इसका उद्देश्य नवाचार और नई प्रौद्योगिकीयों के विकास को बढ़ावा देना है तथा इस संबंध में देश के नवाचार में महत्पूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षण संस्थानों की और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पेटेन्ट नियम, 2003 के तहत विभिन्न अधिनियमों के संबंध में उनके द्वारा देय अधिकारिक शुल्क को पेटेन्ट (संशोधन) नियम, 2021 के माध्यम से हटा दिया गया है तथा त्वरित परीक्षा प्रणाली का विस्तार अर्थात सबसे तीव्र गति से स्वीकृत होने वाला पेटेन्ट है जिसे इस तरह के अनुरोध को दाखिल करने

के 41 दिनों के भीतर प्रदान किया गया हो। त्वरित परीक्षा प्रणाली की यह सुविधा प्रारंभ में स्टार्टअप द्वारा दायर पेटेन्ट आवेदनों के लिए प्रदान की गई थी।

वर्तमान में वैक्सीन पर पेटेन्ट से आजादी - यह विषय कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय सामने आया जब कोविड-19 की वैक्सीन विश्व के सभी देश नहीं बना सके। पेटेन्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है इस कानून के तहत अगर कोई कंपनी सबसे पहले कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाती है और यह चाहती है कि इस प्रोडक्ट की तकनीक अन्य किसी कंपनी के पास नहीं हो तो वह WTO से इसके पेटेन्ट के लिए आवेदन करती है। WTO की जांच के बाद यदि यह साबित होता है कि प्रोडक्ट इससे पहले कभी नहीं बना और इसकी तकनीक यूनिक है, तो पेटेन्ट के नियम के अनुसार वह उस कंपनी को अधिकार दे देता है कोविड-19 की वैक्सीन में यह बात दिखायी दी। वही कंपनियां वैक्सीन बना सकती है जिन्होंने उस वैक्सीन के फार्मूले का पेटेन्ट प्राप्त कर लिया है। अगर वैक्सीन से पेटेन्ट हटता तो दुनिया में जो सिर्फ 13 कंपनी वैक्सीन बना रही है उसकी संख्या हजारों में हो सकती है। भारत में भी लगभग तीन हजार कंपनिया है लेकिन वैक्सीन सिर्फ दो कंपनियां बना रही है यद्यपि कुछ अन्य फार्मूले के साथ कुछ कंपनियां भी वैक्सीन बना पायी है। परंतु वैक्सीन की कमी से विश्व के गरीब व पिछड़े देशों को सहायता तुरंत नहीं हो पायी, उसका कारण वैक्सीन का पेटेन्ट था क्योंकि इसके लिए WTO के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। जब संपूर्ण विश्व कोविड-19 महामारी के समय वैक्सीन की समस्या से जूझ रहा था तब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WTO) का एक प्रस्ताव दिया और कोरोना वैक्सीन में बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) को हटाने की मांग की अर्थात वैक्सीन से जुड़े तमाम शोध और उसके निर्माण से जुड़े तमाम शोध और उसके निर्माण से जुड़ी सभी जानकारियां अन्य कंपनियों के साथ साझा होना चाहिए ताकि दूसरी कंपनियां भी वैक्सीन बना सके। लेकिन अन्य विकसित देश की सहमति नहीं बनी और यह विषय कई विवादों में फसा रहा। निश्चित ही इस समय WTO को भी संकट के समय नियमों में शिथिलता करनी चाहिए थी जो चाहे उसी समय या कुछ वर्षो के लिए ही क्यों न करना पड़ती। WTO के नियमों के अनुसार ही किसी कंपनी का सुरक्षा कवच कुछ समय को हटाने की मांग तीन स्थितियों में की जा सकती है। (1) जब कोई बड़ा खतरा उसे टाला जा सके। (2) वह मानव जाति के हित के लिए जरूरी हो। (3) जब इंसानी जीवन उस पर टिका हो। इसी को ही आधार मानकर भारत और दक्षिण अफ्रीका ने वैक्सीन और उससे जुड़े तकनीक, उपकरण आदि से कॉपीराइट हटाने का आवेदन WTO के समक्ष रख था। जिससे WTO विशेषाधिकार का प्रयोग करना चाहिए था जब देशों के ऊपर संकट है तो वैक्सीन का पेटेन्ट यह गलत ही है। "सबकी जान बचाने वाली वैक्सीन मेरी कैसी हो सकती है।" अमेरिकी वैज्ञानिक डाक्टर जोनास साल्क ने जब 1955 में पोलियो का वैक्सीन बनाया तब कही थी। इस बात को कोविड-19 वैश्विक महामारी में भी सोचना चाहिए थी तब ही बौद्धिक अधिकार की सफलता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की बैठकक 17 जून 2022 को भारत कोविड-19 टीके की मैन्युफैक्चरिंग निर्यात, डाइग्नोस्टिक्स और थैरेपेटिक्स से संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) में छूट दिये गये जाने को लेकर सदस्य देशों को मनाने में नाकाम रहा। यदि इसमें सदस्य देशों की सहमति बनती तो भारत से उन देशों के लिए कोविड-19 टीके की मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात करने में आसानी होती जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं है अन्य सदस्य देश अगली बैठक छह महीने के भीतर यह तय करेंगे कि इस छूट को बढ़ाया जा सकता है। (दैनिक भास्कर 18 जून 2022)

पेटेन्ट अधिनियम बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए संपूर्ण विश्व में लागू है और उसका सभी

देशों के लिए पालन भी करना पड़ता है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020में भारत 35.46% स्कोर के साथ 53 देशों की सूची में 40वें स्थान पर रहा जबकि वर्ष 2019 में 36.04% के स्कोर के साथ भारत 50 देशों की सूची में 36वें स्थान पर था। यद्यपि भारत देश का स्थान काफी नीचे है इसके लिए भारत देश को बौद्धिक संपदा ढांचे परिवर्तनकारी बदलाव लाने की दिशा में आगे और काम करने की आवश्यकता है। भारत देश निरंतर विकास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की औद्योगिक विकास संस्थान ने अपने एक अध्ययन के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि जिन देशों की बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था सुव्यस्थित है वहां आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अतः देश में इस संबंधित में सुधार की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि बौद्धिक संपदा का अधिकार विषय बहुत ही व्यापक है भारत देश भी नवीन शोध व नवाचार कर रहा है परंतु वह विकसित देशों की तरह शीघ्र ही पेटेन्ट आदि को नहीं करा पा रहा है अतः भारत देश को पेटेन्ट डिजाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक को चुस्त व दुरूस्त बनाने की आवश्यकता है। यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय है जो अभी कोविड-19 में वैक्सीन पर पेटेन्ट के समय सभी को निश्चित ही समझ में आया होगा।

भारत में पेटेन्ट प्रणाली से संबंधित अधिनियम का विवरण इस प्रकार है – 1852 के ब्रिटिश पेटेन्ट के कानून के आधार पर आविष्कार के संरक्षण हेतु 1856 का अधिनियमम एक नये निर्माताओं के आविष्कारों को 14 वर्षो की अवधि हेतु कुछ अन्य विशेषाधिकार प्रदान किये गये, 1859 अधिनियम के रूप में संशोधित अधिनियम, पेटेन्ट एकाधिकार अनन्य विशेषाधिकार कहा गया, 1972 पेटेन्ट एण्ड डिजाइन्स प्रोटेक्शन अधिनियम, 1883 आविष्कार संरक्षा अधिनियम, 1888 आविष्कार व डिजाइन अधिनियम के रूप में एकीकृत, 1911 भारतीय पेटेन्ट व डिजाइन अधिनियम, 1999, 26 मार्च 1999 को पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 01.01. 1995 से प्रभावी, 2002 पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 2002, 20 मई 2003 से प्रभावी, 2005 पेटेन्ट (संशोधन) अधिनियम 2005, 1 जनवरी 2005 से प्रभावी, 2020 फार्म 27 जमा करने के संबंध में कुछ सरलीकरण, 2021 पेटेन्ट (संशोधित) अधिनियम 2021 - नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना, त्वरित शिक्षा का विकास।

सन्दर्भ -

1. जैन, डॉ. एस.सी., औद्योगिक अर्थशास्त्र - कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, संस्करण 2014
2. माहेश्वरी, डॉ. पी.डी. एवं गुप्ता, भारतीय आर्थिक नीति, कैलाश पुस्तक सदन भोपाल, संस्करण 2016
3. https:/navbharattimes.com/bussinessnews
4. https:/zeenews.india.com
5. https:/www.downtoearth.org.in
6. https:/www.drishtias.com
7. समाचार पत्र - दैनिक भास्कर, 18 जून 2022